

ह्यूमन राइट्स वॉच की वर्ल्ड रपिपोर्ट 2023

प्रलिस के लयः

यूनवर्सल डकिलेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट (UDHR), मानवाधकारों को सशक्त बनाने के लयः भारत की पहल, हेलसकी समझौता

मेन्स के लयः

मानवाधकारों के लयः भारत की वभिन्न पहल और हाल के वर्षों में देश में मानवाधकारों के उल्लंघन के वरिधाभासी उदाहरण ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी वर्ल्ड रपिपोर्ट 2023 (33वाँ संस्करण) में कहा कि भारतीय अधकारियों ने वर्ष 2022 के दौरान कार्यकर्ता समूहों एवं मीडिया पर अपनी कार्यवाही को अधिक "तीव्र और व्यापक" कर दिया ।

- इसमें यह भी दावा कया गया है कि वर्तमान केंद्रीय सत्तारूढ़ पार्टी ने अल्पसंख्यकों को दबाने हेतु अपमानजनक और भेदभावपूर्ण नीतियों का इस्तेमाल कया ।

ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है?

- ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1978 में "हेलसकी वॉच" के रूप में हुई थी, शुरू में इसका उद्देश्य हेलसकी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में अधकारों के हनन की जाँच करना था ।
 - वर्तमान में इसका दायरा दुनिया भर के लगभग 100 देशों में वसितारित हो गया है ।
 - इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है ।
- हेलसकी समझौता (1975), यूरोप में सुरक्षा और सहयोग पर पहले सम्मेलन (अब यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन) के समापन पर हेलसकी, फिनलैंड में हस्ताक्षरित एक प्रमुख राजनयिक समझौता था ।
 - मुख्य रूप से सोवियत और पश्चिमी ब्लॉक के बीच तनाव को कम करने हेतु हेलसकी समझौते पर कनाडा, अमेरिका एवं यूरोप के सभी देशों द्वारा हस्ताक्षर कया गए थे ।
 - समझौते के तहत 35 हस्ताक्षरकर्ता देशों ने मानवाधकारों और मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान करने का वचन दिया था ।

वर्ल्ड रपिपोर्ट 2023 के भारत वशिष्ट नषिकर्षः

- सरकार द्वारा मानवाधकारों का उल्लंघनः
 - रपिपोर्ट में पाया गया कि केंद्र सरकार हद्वि बहुसंख्यक वचिारधारा को बढ़ावा दे रही है तथा अधकारियों और समर्थकों को धार्मिक अल्पसंख्यकों के खलिाफ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने एवं कभी-कभी हसिक कार्रवाई हेतु भी उकसाती है ।
 - इसने महिलाओं के खलिाफ हसिा के मामलों में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतः सरकार के भेदभावपूर्ण रुख (बलिकसि बानो बलात्कार के दोषियों की रहिाई) को उजागर कया है ।
 - अनुच्छेद 370 को हटाने तथा बाद में दो केंद्रशासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) के नरिमाण के 3 साल पश्चात् भी "सरकार ने दोनों केंद्रशासित प्रदेशों में स्वतंत्र अभवियक्त एवं शांतपूरण समागम को प्रतःबिधति करना जारी रखा" है ।
 - प्राधकारि वर्गों ने पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को "मनमाने ढंग से" हरिसत में लेने के लयः जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधनियम (J&K Public Safety Act) एवं गैरकानूनी गतविधियाँ रोकथाम अधनियम (Unlawful Activities Prevention Act- UAPA), 1967 का भी इस्तेमाल कया ।
 - इसने कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यक हद्वि और सखि समुदायों पर संदगिध आतंकवादी हमलों का भी उल्लेख कया है ।
- सर्वोच्च न्यायालय के वभिन्न नरिणियों का स्वागतः

- HRW ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए त्वरति उदार कदमों की सराहना की, जैसे औपनिवेशिक युग के [राजद्रोह कानून](#) के सभी उपयोग को रोकने का नरिणय ।
- इसने वैवाहिक स्थिति की परवाह कयि बना [सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार](#) देने तथा समान-लगि वाले युगल, एकल माता-पति और अन्य परिवारों को शामिल करने हेतु परिवार की परभिषा को व्यापक बनाने वाले सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय का भी उल्लेख कयि ।
 - हालाँकि शैक्षणिक संस्थानों में [मुसलमि छात्राओं के हजिाब पहनने के अधिकार](#) पर सर्वोच्च न्यायालय कसिी नरिणय पर नही पहुँचा ।

मानवाधिकारों के लयि भारत की पहलें:

- संवधान में प्रावधान:
 - [मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 14 से 32](#)
 - [राज्य के नीतनरिदेशक सिद्धांत](#): संवधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक । इसमें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, रोजगार चयन का अधिकार, बेरोजगारी के वरिद्ध सुरक्षा, समान काम तथा समान वेतन का अधिकार, मुफ्त और अनवरि शक्ति का अधिकार एवं मुफ्त कानूनी सलाह का अधिकार आदि शामिल हैं ।
- सांविधिक प्रावधान:
 - [मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम \(PHRA\), 1993](#) (वर्ष 2019 में संशोधित): NHRC की स्थापना इसी अधिनियम के तहत की गई थी ।
- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भूमिका:
 - भारत ने [मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा \(UDHR\)](#) के प्रारूपण में सकरयि रूप से भाग लयि ।
 - भारत ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (ICESCR) तथा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (ICCPR) का भी अनुसमर्थन कयि है ।

अन्य समान रपिर्ट:

- [भारत- 2021 पर मानवाधिकार रपिर्ट](#) (अमेरिकी वदिश वभाग द्वारा) ।
- [फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रपिर्ट](#) (अमेरिका स्थित फ्रीडम हाउस द्वारा) ।
- [डेमोक्रेसी रपिर्ट 2022](#) (यूनवरिस्टी ऑफ गोथेनबर्ग, स्वीडन में वी-डेम इंस्टीट्यूट द्वारा) ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. मौलिक अधिकारों के अलावा भारत के संवधान का नमिनलखिति में से कौन-सा भाग मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948) के सिद्धांतों और प्रावधानों को दर्शाता है या प्रतबिबिति करता है? (2020)

1. प्रस्तावना
2. राज्य के नीतनरिदेशक सिद्धांत
3. मौलिक कर्तव्य

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा में काफी हद तक योगदान दयि है, फरि भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के वरिद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं । इनकी संरचनात्मक एवं व्यावहारिक सीमाओं का वशिलेण करते हुए सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजयि । (2021)

स्रोत: द हदि

